शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्या-29/2016/2805/26-2-2016-2(**एस**0**एन**0**डी**0)/2014

प्रेषक,

मनोज सिंह,

प्रमुख सचिव,

उ0**प्र**0 **शासन।**

सेवा में,

1**. समस्त मण्डलायुक्त**,

उत्तर प्रदेश।

2. **समस्त जिलाधिकारी**,

उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक** 28 **नवम्बर**, 2016

विषय : "समाजवादी पेंशन योजना" एवं "अनुसूचित जाति/जनजाति/सामान्य वर्ग शादी अनुदान योजना" के संचालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत है कि राज्य सरकार के माध्यम से समाजवादी पेंशन योजना वित्तीय वर्ष 2014-15 **से प्रारम्भ की गयी है। उक्त योजना के अन्तर्गत लाभान्वित परिवार की महिला मुखिया को रू**0 500/- **प्रतिमाह की दर से आर्थिक सहायता दी जा रही है।**

इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा स्वयं के वित्तीय संसाधनों से अनुसूचित जाति/अनु0 **जनजाति/सामान्य जाति के पुत्रियों की शादी अनुदान योजना संचालित की जा रही है। इस योजनान्तर्गत पूर्व में प्रदत्त की जाने वाली आर्थिक सहायता की धनराशि को रू**0 10,000/- **से बढ़ाकर रू**0 20,000/- **प्रति लाभार्थी निर्धारित किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व रू**0 20,000/- **की सुविधा सिर्फ बुन्देलखण्ड सम्भाग में ही देय थी।**

समाजवादी पेंशन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 **में योजना के अन्तर्गत चयनित लाभार्थियों में से प्रत्येक जनपद में लगभग** 500 **से** 1000 **लाभार्थियों के मध्य परिचय-पत्रों का वितरण मा**0 **मंत्री/मा**0 **विधायक गणों की उपस्थिति में किया गया था।**

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 **में उक्त दोनों योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं जन सामान्य में इसकी सहभागिता सुनिश्चित कराये जाने एवं अधिकाधिक व्यक्तियों को योजनान्तर्गत लाभान्वित कराये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। राज्य स्तर पर मा**0 **मुख्यमंत्री जी द्वारा शादी अनुदान योजना/समाजवादी पेंशन योजना के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र/परिचय पत्र का वितरण दिसम्बर माह के प्रथम सप्ताह में प्रस्तावित है।**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

इसी प्रकार के कार्यक्रम उसी दिन अथवा उसके तत्काल उपरान्त प्रदेश के अन्य सभी जनपदों में सम्बन्धित जनपदों के प्रभारी मा0 मंत्री/मा0 मंत्री/मा0 सांसदगण/विधायक की उपस्थिति में किया जाना प्रस्तावित है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि शादी अनुदान योजना/समाजवादी पेंशन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में चयनित जिन लाभार्थियों के बैंक खातों में धनराशि हस्तान्तरित की जा चुकी है अथवा हस्तान्तरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, ऐसे लाभार्थियों की सूची जनपद स्तर पर तैयार करा ली जाए एवं मा0 प्रभारी मंत्री/जनप्रतिनिधि गणों के माध्यम से स्वीकृति पत्र कैम्पों के माध्यम से वितरित कराये जाने की कार्यवाही सम्पन्न करायी जाए। यह भी स्पष्ट करना है कि उक्त कार्यक्रम में ''सोशल सेक्टर'' के अन्य योजनाओं के वह लाभार्थी, जिनको धनराशि का हस्तान्तरण किया जा चुका है, तथा जिनको धनराशि की स्वीकृति से सम्बन्धित स्वीकृति पत्र का वितरण अभी तक नहीं हुआ है उनका वितरण भी इन्हीं कैम्पो के माध्यम से सुनिश्चित करा लिया जाए।

समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित की जाने वाली उक्त योजनाओं के अतिरिक्त जनपद स्तर पर सोशल सेक्टर के माध्यम से संचालित अन्य विभागों यथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, महिला कल्याण विभाग एवं विकलांग कल्याण विभाग के लाभार्थियों को भी उक्त कैम्पों के माध्यम से सहायता राशि/अन्य सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाएँ। उपरोक्त कार्यक्रमों हेतु जनपद में ''समाज कल्याण नोडल विभाग'' होगा।

नोटः- प्रदेश मुख्यालय तथा जनपदों के लिए कार्यक्रम की तिथियों की सूचना प्राप्त होते ही तद्नुसार आपको पृथक से अवगत कराया जायेगा।

भवदीय,

मनोज सिंह
प्रमुख सचिव,

संख्या-29/2016/2805(1)/26-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. श्री रिग्जियान सैम्फिल, विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन, महिला कल्याण विभाग।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन, विकलांग कल्याण विभाग।
6. निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7. निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8. **निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ0प्र0।**
9. **निदेशक, महिला कल्याण विभाग, उ0प्र0।**
10. **निदेशक, विकलांग कल्याण विभाग, उ0प्र0।**
11. **राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, उ0प्र0।**
12. **समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।**
13. **समस्त मण्डलीय संयुक्त/उप निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0।**
14. **समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।**

आज्ञा से,

मनोज सिंह
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।**
2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.nic.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**